Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 27–2021] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 6 जुलाई, 2021
(15 आषाढ़, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु		पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**		
	कुछ नहीं		
भाग II	**अध्यादेश**		
	कुछ नहीं		
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**		
	1.	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 11/संवि०/अनु० 309/2021 दिनांक 02 जुलाई, 2021– हरियाणा बिजली निरीक्षणालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2021।	321–328
	2.	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 12/संवि०/अनु० 309/2021 दिनांक 02 जुलाई, 2021– हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2021। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	329–370
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**		
	कुछ नहीं।		

भाग – III

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 जुलाई, 2021

संख्या सा०का०नि० 11/संवि०/अनु० 309/2021.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा बिजली निरीक्षणालय **(ग्रुप ग)** सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा बिजली निरीक्षणालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा बिजली निरीक्षणालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (कक) का लोप कर दिया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''14. **अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।** (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य, समय–समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में विनिर्दिष्ट है।''।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	उप अधीक्षक	7	वृतिमूलक वेतन स्तर–6 (रूपये 35400–112400)
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	9	वृतिमूलक वेतन स्तर–6 (रूपये 35400–112400)
3.	लेखा परीक्षक	5	वृतिमूलक वेतन स्तर–6 (रूपये 35400–112400)
4.	सहायक	2	वृतिमूलक वेतन स्तर–6 (रूपये 35400–112400)
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1	वृतिमूलक वेतन स्तर–6 (रूपये 35400–112400)
6.	चालक	3	वृतिमूलक वेतन स्तर–4 (रूपये 25500–81100)
7.	आशुटंकक	1	वृतिमूलक वेतन स्तर–2 (रूपये 19900–63200)
8.	लिपिक	10	वृतिमूलक वेतन स्तर–2 (रूपये 19900–63200)
9.	रिकार्ड रैस्टोरर	1	वृतिमूलक वेतन स्तर–2 ''। (रूपये 19900–63200)

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,–

(i) ''दसवीं स्तर तक या ''उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत'' शब्द जहाँ कहीं भी आएें के स्थान पर, ''मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगें; तथा

(ii) खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा तथा परिणामस्वरूप क्रम संख्या 3 से 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों को 2 से 9 के रूप में पुर्नसंख्याकित कर दिया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 'ग' और 'घ' के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किये जाऐंगे, अर्थात् :–

"परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	उप अधीक्षक	मुख्य बिजली निरीक्षक	1. **छोटी शास्तियां**– हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित ; 2. **बड़ी शास्तियां**– हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	मुख्य बिजली निरीक्षक	सरकार ।
2.	कनिष्ठ अभियन्ता				
3.	लेखा परीक्षक				
4.	सहायक				
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				
6.	चालक				
7.	आशुटंकक				
8.	लिपिक				
9.	रिकार्ड रैस्टोरर				

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	उप अधीक्षक	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	मुख्य बिजली निरीक्षक	सरकार''।
2.	कनिष्ठ अभियन्ता			
3.	लेखा परीक्षक			
4.	सहायक			
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
6.	चालक			
7.	आशुटंकक			
8.	लिपिक			
9.	रिकार्ड रैस्टोरर			

पी० के० दास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Notification

The 2nd July, 2021

No. G.S.R. 11/Const./Art. 309/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Electrical Inspectorate **(Group C)** Service Rules, 1998, namely;–

1. These rules may be called the Haryana Electrical Inspectorate (Group C) Service (Amendment) Rules, 2021.

2. In the Haryana Electrical Inspectorate (Group C) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules), in rule 9, in sub–rule (1), clause (aa) shall be omitted.

3. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely;–

"14. Discipline, penalties and appeals.- (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in **Appendix C** to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, and appellate authority shall be such as specified in **Appendix D** to these rules.".

4. In the said rules, for Appendix A the following Appendix shall be substituted, namely:–

“APPENDIX A

[(see rule (3)]

Serial number	Designation of posts	Number of Posts	Scale of pay
1	2	3	4
1.	Deputy Superintendent	7	Functional Pay level-6 (Rs. 35400—112400)
2.	Junior Engineer	9	Functional Pay level-6 (Rs. 35400—112400)
3.	Auditor	5	Functional Pay level-6 (Rs. 35400—112400)
4.	Assistant	2	Functional Pay level-6 (Rs. 35400—112400)
5.	Senior Scale Stenographer	1	Functional Pay level-6 (Rs. 35400—112400)
6.	Driver	3	Functional Pay level-4 (Rs. 25500—81100)
7.	Steno-typist	1	Functional Pay level-2 (Rs. 19900—63200)
8.	Clerk	10	Functional Pay level-2 (Rs. 19900—63200)
9.	Record Restorer	1	Functional Pay level-2 (Rs. 19900—63200) ”.

5. In the said rules, in Appendix B,-

(i) For the words and sign “Hindi/Sanskrit upto Matric or higher education” wherever occurring, the words “Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education” shall be substituted; and

(ii) Under columns 1, 2, 3 and 4 serial number 2 and entries thereagainst shall be omitted and consequent thereto serial number 3 to 10 and entries thereagainst shall be renumbered as 2 to 9.

6. In the said rules, for Appendices C and D, the following Appendices shall be substituted, namely;-

"APPENDIX C

[see rule 14 (1)]

Serial number	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Deputy Superintendent	Chief Electrical Inspector	**(i) Minor Penalties-** As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016; **(ii) Major Penalties-** As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Chief Electrical Inspector	Government
2.	Junior Engineer				
3.	Auditor				
4.	Assistant				
5.	Senior Scale Stenographer				
6.	Driver				
7.	Steno Typist				
8.	Clerk				
9.	Record Restorer				

APPENDIX D

[see rule 14 (2)]

Serial number	**Designation of posts**	**Nature of order**	**Authority empowered to make the order**	**Appellate authority**
1	2	3	4	5
1.	Deputy Superintendent	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Chief Electrical Inspector	Government".
2.	Junior Engineer			
3.	Auditor			
4.	Assistant			
5.	Senior Scale Stenographer			
6.	Driver			
7.	Steno Typist			
8.	Clerk			
9.	Record Restorer			

P. K. DAS,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Power Department.

9225—C.S.—H.G.P., Pkl.